...नी प्रक रण क्रमांक R 917 I-17 वर्ष 2017

नंदलाल तनय नथू पाल (गड़रिया) निवासी ग्राम भिलोनी तहसील बल्देवगढ़ जिला – टीकमगढ़ म0प्र0 द्वारा मुख्त्यार नाथूराम तनय घनश्याम पाल निवासी ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

............निगरानीकर्ता

बनाम

1. महिला भुमानीबाई पत्नि मोहनपाल (गड़रिया) निवासी मझगुंवा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2. शासन म0प्र0

...........प्रत्युत्तर दातागण

निगरानी अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 प्रतिकूल आदेश दिनांक 29.11.2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक९3/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 से परिवेदित होकर जिनके द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 से परिवेदित होकर जिनके द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अ–6/2015.16 को पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 को चुनोती देते हुये अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 म्यादि अधि0 का आवेदन दिया जो निरस्त कर दिया गया।

महोदय जी,

निगरानीकर्ता की निम्न विनय सेवा में प्रेषित हैं:–

1. यह कि निगराकार द्वारा न्यायालय तहसीलदार वल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 08.09.2016 को मय विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के आवेदन साथ प्रस्तुत की थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देबगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा विलम्ब क्षमा का आवेदन अस्वीकार कर अपील निरस्त कर दी गई जबकि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-917-एक/2017 जिला टीकमगढ़ नंदलाल विरूद्ध गुमानबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 83/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य